Title: Election of one member from the Lok Sabha to the All India Council for Technical Education.

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): मैं यह प्रस्ताव रखता हं:-

'ि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम १९८७ की धारा ३(४) (ञ) के त्र अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपलब्धों के अध्यधीन शेष अविध अर्थात १० फरवरी, २००१ तक के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।'

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of Section 3(4)(j) of the All India Council for Technical Education Act, 1987, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Council for Technical Education for the remaining term, i.e., up to 10 February, 2001, subject to other provisions of the said Act."

The motion was adopted.